न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–61 / 18

अनोख बाई आयु 68 वर्ष पुत्री श्री रामकल्याण उर्फ कल्याण जाति ब्राहमण़ निवासी अन्ता जिला बारां (राज0)

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां (राज0) (प्रतिवादी)

उपस्थित वकील :– श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादी)
(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 09/08/2019

हस्तगत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम धतुरिया तहसील अन्ता में खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं.नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं.नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि स्थित है। उक्त आराजियात को इस वादपत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त अराजी प्रथम सेटलमेन्ट पूर्व सम्वत 2005 में मूलचन्द, कल्याण पूत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी बास गांव बांट बराबर खाते दर्ज थी जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत 2005 से 2008 वादपत्र के साथ संलग्न है। उक्त भूमि वर वादिया के पूर्वज अपने जीवनकाल में काबिज काश्त करते थे। उक्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त साबिक खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं.नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं.नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 मे कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम खाते दर्ज करते हुए त्रुटिपूर्वक नारायण वल्द धूल्या उपकृषक का नाम दर्ज नही था। नकल जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 मे भी वादिया के नाम के साथ उपकृषक नारायण वल्द धूल्या नाम अंकित है तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में भी वादिया के साथ उपकृषक नारायण पुत्र धूल्या का नाम अंकित है नकल मिलान क्षेत्रफल से साबिक खसरा नं. का हाल खसरा नम्बरों से मिलान हो रहा है जो नकल मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। यह कि द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उपकृषक का नाम खाते से नहीं हटाया गया जबकी उक्त भूमि पर उपकृषक का कभी कब्जा नही रहा है। वादिया ही उक्त भमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादिया की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उपकृषक नारायण वल्द धूल्या नाम अंकित कर दिये जाने से वादिया को अपनी उक्त भूमि का विकास कार्य करवाने एवं किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण प्राप्त करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही है। उक्त विवादित आराजी ग्राम धतुरिया तहसील अन्ता

(7)

में खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं.नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं.नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि वादिया के पूर्वजो के कब्जे काश्त होने से तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादिया के कब्जे काश्त में होने से तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादिया के कब्जे काश्त में होने से तथा प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिपुर्वक उपकृष्क नारायण वल्द धूल्या नाम अंकित करने से, उप कृषक नारायण वल्द धूल्या का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटवाया जाकर सम्पूर्ण उक्त आराजियात की वादिया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद कारण दिनांक 06.06.2018 को वादिया ने प्रतिवादी से अन्तिम बार उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित उपकृषक नारायण वल्द धूल्या का नाम हटवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गया। जिस कारण वाद बमुकाम तहसील कार्यालय अन्ता में उत्पन्न हुआ। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस प्रेषित किये बगैर यह वाद पत्र प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा है। क्योंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की मियाद का इन्तजार नहीं किया जा सकता अतः यह वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की सादिर डिकी एवं निर्णय पारित फरमाया जावें कि :– ग्राम धतुरिया तहसील अन्ता में खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं.नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं.नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि वादिया के पूर्वजो के कब्जे काश्त में होने तथा मृत्यु के बाद से वादिया के कब्जे काश्त में होने से तथा प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक उपकृषक नारायण वल्द धूल्या नाम अंकित करने से उप कृषक नारायण वल्द धूल्या का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटवाया जाकर सम्पूर्ण उक्त आराजियात की वादिया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादिया को प्रतिवादी से दिलायी जावे।

वादी द्वारा साक्ष्य मे पी डब्ल्यू 1 अनोखबाई पुत्री रामकल्याण उर्फ कल्याण जाति ब्राहमण निवासी अन्ता के बयान लेख बद्व करवाये गये। अपने बयानो मे बताया कि उक्त भूमि ग्राम धतुरिया तह0 अन्ता खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं.नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं.नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में कायम किये गये है। उक्त भूमि के खसरा नम्बर प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम खाते दर्ज करते हुए त्रुटिपूर्वक नारायण वल्द धूल्या उपकृषक दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रेकार्ड में उपकृषक का नाम दर्ज नही था। द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उपकृषक का नाम खाते से नही हटाया गया, जबकि उक्त भूमि पर उपकृषक का कभी कब्जा नही रहा है। मे ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही हू। वादिया के पूर्वजो के कब्जे काश्त में होने तथा मृत्यु के बाद से वादिया के कब्जे काश्त में होने से तथा प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक उपकृषक नारायण वल्द धूल्या नाम अंकित करने से उप कृषक नारायण वल्द धूल्या का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से

हटवाया जाकर सम्पूर्ण उक्त आराजियात की वादिया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मेरे द्वारा मेरे खाते की नकल संवत 2062–65 पेश की है जो पृदर्श–1 है। नकल जमाबन्दी संवत 2054–57 पृदर्श–2 है। नकल जमाबन्दी संवत 2050–53 पृदर्श–3 है। नकल जमाबन्दी संवत 2058–61 पृदर्श–4 है। जमाबन्दी नकल संवत 2044–63 पृदर्श– 5 है। मिलान क्षैत्रफल संवत 2015–2024 पृदर्श–6 है। नकल जमाबन्दी संवत 2008 पृदर्श –7 है। पी.डब्ल्यू –2 चतुर्भुज पुत्र प्रेमचन्द जाति धाकड निवासी धतुरिया तह0 अन्ता एवं पीडब्ल्यू–3 जगदीश प्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी धतुरिया तह0 अन्ता के बयान लेख बद्व करवाये गये। अपने बयानो मे बताया कि उक्त भूमि पर श्रीमति अनोखबाई पुत्री रामकल्याण उर्फ कल्याण जाति ब्राहमण निवासी अन्ता को काश्त करते हुए करीब 40 वर्षो से देखता आ रहा हू। उक्त भूमि पर इनके अलावा किसी ने काश्त नही की है। उक्त भूमि को इन्ही के द्वारा मुनाफा काश्त इत्यादि पर दी जाती है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी करवायी गई प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का मुताबिक जमाबन्दी संवत 2034–37 में अनोखबाई पुत्री रामकल्याण जाति ब्राहम्मण सा. देह उप कृषक नारायण वल्द धूल्या चमार रहन भूमि बैंक बिल एवज 2500/– दर्ज है। जबकि वर्तमान सेटलमेन्ट खतौनी में अनोखबाई पुत्री रामकल्याण ब्राहम्मण सा. अन्ता उप कृषक नारायण वल्द धूल्या, जबकि प्रस्तुत जमाबन्दी सं. 2005 में मूलचन्द कल्याण बेटे जगन्नाथ जाति ब्राहम्मण बार बराबर दर्ज था। जमाबन्दी सम्वत 2005–08 तथा 2034–37 तथा खतौनी बन्दोबस्त 2044–65 में अन्तर आ गया अर्थात 2005–08 में उपकृषक दर्ज नही है तथा सम्वत 2034–37 में खातेदार के नाम के साथ उपकृषक नाराण वल्द धूल्या चमार दर्ज है तथा खतोनी बन्दोबस्त मे 2044–65 मे खातेदार के नाम के साथ उपकृषक नारायण वल्द धूल्या दर्ज किया जो संवत 2005–08 व 2034–37 के विपरीत है।

तहसीलदार अन्ता तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2034–37 में अनोखबाई पुत्री रामकल्याण जाति ब्राहमण सा0देह उपकृषक नारायण वल्द धूल्या चमार रहन भूमि बंधक बैंक बिल एवज 2500/– दर्ज है। जबकि वर्तमान सेटलमेन्ट खतोनी में अनोखबाई पुत्री रामकल्याण ब्रा0 सा. अन्ता उपकृषक नारायण वल्द धूल्या, जबकि प्रस्तुत जमाबन्दी सवंत 2005 मे मूलचन्द कल्याण बेटे जगन्नाथ जाट ब्रा0 बाट बराबर दर्ज था। जमाबन्दी सवंत 2005–08 तथा 2034–37 तथा खतौनी बन्दोबस्त 2044–65 में अन्तर आया अर्थात 2005–08 में उपकृषक दर्ज नही है तथा गांव में पूछताछ करने पर बताया की नारायण पुत्र धूल्या नाम का व्यक्ति वर्तमान में नही रहता है और न ही नारायण पुत्र धूल्या नाम का कोई व्यक्ति है। सम्वत 2004–07 मे खातेदार के नाम के साथ उपकृषक नारायण वल्द धूल्या दर्ज किया है।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के चरणो को दौहराया। दौराने बहस कथन किया कि ग्राम धतुरिया तह0 अन्ता खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं.नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं. नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में कायम किये गये है। उक्त भूमि के खसरा नम्बर प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम खाते दर्ज करते हुए त्रुटिपूर्वक नारायण वल्द धूल्या उपकृषक दर्ज कर दिया गया। जबकि

प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रेकार्ड में उपकृषक का नाम दर्ज नही था। द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उपकृषक का नाम खाते से नही हटाया गया, जबकि उक्त भूमि पर उपकृषक का कभी कब्जा नही रहा है। मे ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही हू। वादिया के पूर्वजो के कब्जे काश्त में होने तथा मृत्यु के बाद से वादिया के कब्जे काश्त में होने से तथा प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक उपकृषक नारायण वल्द धूल्या नाम अंकित करने से उप कृषक नारायण वल्द धूल्या का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटवाया जाकर सम्पूर्ण उक्त आराजियात की वादिया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रस्तुत वाद/दस्तोवजो का गहन अध्ययन किया गया एवं गवाह व बहस एवं तहसीलदार अन्ता से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया जाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि उप कृषक नारायण वल्द धूल्या नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम धतुरिया में निवास नही करता था ना ही वर्तमान में इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम धतुरिया मे है। अतः प्रथम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक उपकृषक नारायण वल्द धूल्या दर्ज करने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके माल ग्राम धतुरिया तहसील अन्ता में खसरा नं. 159 रकबा 0.31 हे. खं.नं. 160 रकबा 0.40 हे. खं.नं. 161 रकबा 0.08 हे., खं.नं. 162 रकबा 0.19 हे., खं.नं. 176 रकबा 0.16 हे., खं. नं. 177 रकबा 0.30 हे., खं.नं. 178 रकबा 0.96 हे., खं.नं. 179 रकबा 0.46 हे., खं.नं. 180 रकबा 0.29 हे., खं.नं. 285 रकबा 0.08 हे. किता 10 रकबा 2.87 हे. भूमि मे से उप कृषक नारायण वल्द धूल्या का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी की जावें। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे। एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 09/08/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)